



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590/95 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी. / ई-मेल



प्रेषिति-

श्री सुरेश कुमार अग्रवाल, नामित खान मालिक,
हाहालदी लौह अयस्क खान,
सर्वश्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड,
ग्राम - बोरझरा, उरला-गुमा रोड, उरला ग्रोथ
सेंटर, रायपुर, छत्तीसगढ़-493221
ईमेल-mining@goelgroup.co.in

श्री डी. के. महंत, खान एजेंट,
हाहालदी लौह अयस्क खान,
सर्वश्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड,
ग्राम - बोरझरा, उरला-गुमा रोड, उरला ग्रोथ
सेंटर, रायपुर, छत्तीसगढ़-493221
ईमेल-dk.mahanta@goelgroup.co.in

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले में स्थित आपके हाहालदी लौह अयस्क खान, 75.00 हैक्टर (खान कोड-30CHG08001) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 (यथा संशोधित) के नियमों के उल्लंघन के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 24.12.2024 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री डी. के. महंत, खान एजेंट की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली 2017 (यथा संशोधित) के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है ।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	<p>The Mining operations required to be carried out in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines. However, during inspection of the mine, mining operations observed not carried out in your aforesaid mine in accordance with the Review of Mining Plan (RMP) approved dated 01.04.2024 to the extent indicated below: -</p> <ol style="list-style-type: none"> Proper terracing of waste dump (Dump-A) at regular interval of 20 m. height has not been carried out as envisaged in approved Mining Plan. Environmental protective measures around the lower periphery of the Waste Dump-A, i.e. 440 m. retaining wall and 340 m. garland drain proposed to be constructed in year 2024-25 has not been constructed so far. Moreover, rain cuts and gully formation noticed at the said waste dump slopes and spillage/wash-off observed going outside without sufficient protective measures undertaken. <p>Hence, above are observed to be against the systematic & scientific development of the mine and also against the protection of environment in the mine.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 (यथा संशोधित) के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं होने पर आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है एवं खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत खान की समस्त खनन सक्रियाएं बंद की जा सकती है ।

03. अतः आपको यह सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियमों का उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इस पत्र के जारी होने के 45 दिन के अंदर इस कार्यालय को सूचित करें ।

भवदीय,

(प्रेम प्रकाश)
क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि: सूचनार्थ -:ईमेल द्वारा

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001 ।
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़ । ईमेल- dgm.cg@nic.in

हस्ता/-
क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो